सहकारिता विभाग

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

खरीफ 2025 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन

अधिसूचित फसल

पंचायत स्तरीय फसल

- अगहनी धान
- भदई मक्का

जिला स्तरीय फसल

- सोयाबीन
- मखाना
- आलू
- बैंगन
- टमाटर
- गोभी

- फसल उत्पादन मे 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा क्षति होने पर 10000 रुपया प्रति हेक्टयर सहायता राशि का भुगतान|
- अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान|
- रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए|
- नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य ।

आवेदन की अवधि–
31 अक्टूबर 2025 तक

नि:शुल्क आवेदन

आवेदन की आसान प्रक्रिया :-

- कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देनी है।
- फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।

रैयत किसान	गैर रैयत किसान	रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान
1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2024 के पश्चात निर्गत) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2025 के पश्चात निर्गत)	1. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2024 के पश्चात निर्गत) / राजस्व रसीद (31 मार्च 2025 के पश्चात निर्गत)
2 स्व घोषणा पत्र		2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकारद्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)

- योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाता में सहायता राशि का भुगतान ।
- गलत अथवा भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे।

नोटः–अधिसूचित फसलों से संबंधित जिलों के नाम विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध।

अधिक जानकारी के लिए – https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नं0 - 18001800110 पर संपर्क करें ।

PR No.- 012137 (Co-operative)D. 2025-26

Visit: vacancybihar.in